भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3877

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2017/3 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में महिलाएं

3877. श्री केसिनेनी श्रीनिवास :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मुख्य कंपनियों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में महिलाओं की संख्या कितनी है और उन कंपनियों की संख्या कितनी है जो बोर्ड में एक महिला सदस्य की नियुक्ति के अनिवार्य नियम का पालन नहीं कर रहीं;

(ख) उन सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस नियम का पालन किया है और जिन पीएसयू ने उक्त नियम का पालन नहीं किया है; और

(ग) ऐसी गैर अनुपालनकारी कंपनियों और पीएसयू को दंडित करने हेतु उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है और कारपोरेट बोर्डों में विविधीकरण को बढ़ावा देने और कारपोरेट निर्णय निर्धारण में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): जिन कंपनियों द्वारा अपने बोर्ड में महिला निदेशकों की नियुक्ति करना बाध्यता है, उनके संबंध में सूचना नीचे तालिका में दी गई है:-

कंपनियों की श्रेणी	उन कंपनियों की संख्या, जिनमें महिला निदेशक हैं	उन कंपनियों की संख्या, जिनमें महिला निदेशक नहीं है
सूचीबद्ध	4558	1355
असूचीबद्ध	1009	292
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	134	65

(ग): संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार को (i) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मामले में संबंधित मंत्रालयों के साथ मामला उठाने, और (ii) अन्य कंपनियों के मामले में उचित दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने के निदेश दिए गए हैं।

*****